क्रम-संख्या--747

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4
लाइसेन्स सं० डब्लू० पी०--41
(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 1 अक्तूबर, 1984
आश्विन 9, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2043/सत्रह-वि-1-1 (क) 25-1984

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 30 सितम्बर, 1984 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1984]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 16 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16 में :--

(क) उपधारा (2) में--

(एक) शब्द "उपधारा (1) में निर्दिष्ट" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "विहित दर से" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये प्रति मास की दर से" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात्--

"(3) जहां किसी सदस्य को ऐसे आवास की व्यवस्था की जाय जिसका मानक किराया तीन सौ रुपये प्रतिमास से कम हो, वहां किराये के अन्तर का भुगतान ऐसे सदस्य को प्रतिकर आवास भत्ता के रूप में किया जायगा और जहां इस प्रकार व्यवस्थित आवास का मानक किराया उक्त धनराशि से अधिक हो, वहां किराये के अंतर को सदस्य से वसूल किया जा सकेगा।"

धारा 17 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) में,

(क) खण्ड (ग) में, शब्द "प्रत्येक ऐसे" के स्थान पर शब्द "किसी" रख दिया जायगा;

(ख) खण्ड (घ) निकाल दिया जायगा।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

4--तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 16 के उपबन्ध 9 जून, 1980 से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक की अवधि के सम्बन्ध में भी लागू होंगे मानो ऐसे उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी0 एल0 लूम्बा,
सचिव।

No. 2043(2)/XVII-V-1—1(Ka)25-1984

Dated Lucknow, October 1, 1984

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension), (Dwitiya Shansodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1984), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 30, 1984.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1984

[U.P. Act no. 21 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 1984.

Amendment of section 16 of U. P. Act no. 23 of 1980.

2. In section 16 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (2)—

(i) the words "referred to in sub-section (1)" shall be *omitted*;

(ii) *for* the words "at the prescribed rate" the words "at the rate of three hundred rupees per mensem" shall be *substituted*;

(*b*) *after* sub-section (2) and before the Explanation, the following sub-section shall be *inserted*, namely—

"(3) Where a member is provided with an accommodation the standard rent whereof is less than three hundred rupees per mensem, the difference thereof shall be paid to such member as compensatory accommodation allowance and where the standard rent of the accommodation so provided is more than the said amount, the difference be chargeable from the member."

3. In section 17 of the principal Act, in sub-section (1),— Amendment of section 17.

(*a*) in clause (*c*) *for* the words "every such", the word "any" shall be *substituted*;

(*b*) clause (*d*) shall be *omitted*.

4. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the provisions of section 16 of the principal Act as amended by this Act shall also apply in relation to the period from June 9, 1980 to the commencement of this Act, as if such provisions were in force at all material times. Transitory provision.

By order,

B. L. LOOMBA,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 162 सा० (विधा०)--(2207)-1984-750 (मेक०)।